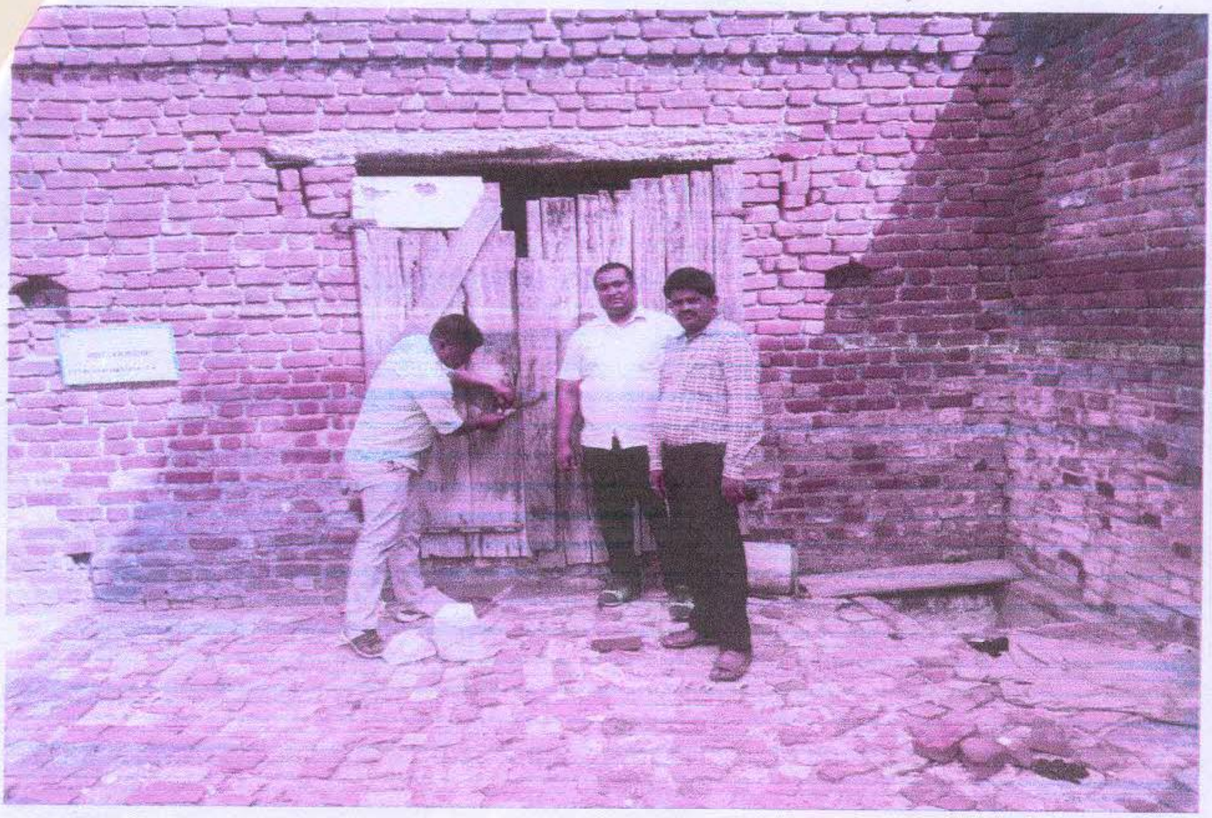

मैसर्स मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर की दिनांक–03.06.2019 को सील करते हुए फोटोग्राफ

बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या

बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0–एच 33579 / सी–7 / ओ0ए0 804 / 18 / बन्दी आदेश–जल / 19 दिनांक–12.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा–33(ए) एवं पत्र सं0–एच 33578 / सी–7 / ओ0ए0 804 / 18 / बन्दी आदेश–वायु / 19 दिनांक–12.03.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31(ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेशों के अनुपालन में मैसर्स मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर को उक्त जारी बन्दी आदेशों की प्रति, उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 03/06/2019 को तामील करायी गयी तथा इकाई में उत्पादन बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु दिनांक 03/06/2019 को इकाई में सील लगा दी गयी। उपस्थित इकाई प्रतिनिधि को उपरोक्त बन्दी आदेश का अग्रिम आदेशों तक अनुपालन सुनिश्चित रखने हेतु निर्देशित किया गया।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

Bintu Kandel	Shakeel Ahmad	(हस्ताक्षर) 03/06/19	(हस्ताक्षर) 03/06/19
(बिन्टू कन्दैल)	(शकील अहमद)	(ब्रह्म सिंह राव)	(अजय कुमार)
कांस्टेबल	कांस्टेबल	लेखपाल	सहायक पर्यावरण अभियन्ता
थाना- नहटौर	थाना- नहटौर	नहटौर	उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
बिजनौर	बिजनौर	बिजनौर	बिजनौर

–:कार्यालय–आदेश:–

बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0–एच 33579/सी–7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश–जल/19 दिनांक–12.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1974 यथासंशोधित की धारा–33(ए) एवं पत्र सं0–एच 33578/सी–7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश–वायु/19 दिनांक–12.03.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 की धारा–31(ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा **मैसर्स मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर को** बोर्ड मुख्यालय द्वारा बंदी आदेश जारी किये गये हैं।

बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियो की टीम का गठन किया जाता है।

1. उप जिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
2. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, धामपुर, बिजनौर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर, बिजनौर।
4. सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उपरोक्तानुसार गठित टीम द्वारा उक्त बन्दी आदेश का स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर

पत्रांक–23/H-33/जनरल दिनांक– 03-4-2019

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ ।
2. उप जिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।
4. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, धामपुर, बिजनौर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर, बिजनौर।
6. सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

तहसीलदार (D)
[illegible]

उपजिलाधिकारी
धामपुर (बिजनौर)

RO

D.M. Sir file

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

27-3-19

संदर्भ संख्या– H33579 / सी–7 / ओ0ए0 804 / 18 / बन्दी आदेश–जल / 19 दिनांक 22-3-19

सेवा में,

मैं0 मौहम्मद जफर अकील अहमद,
मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल,
कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर

पत्रांक 1799
दिनांक 29-3-19
पत्रावली सं0 H-33

यह कि मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर द्वारा पशुओं की खाल में नमक व फिटकरी लगा कर लगभग 500 नग खालों का भण्डारण एवं विक्रय किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित स्थल पर वर्ष–2007 से संचालित उद्योग है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2018 को निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित करते हुए उप जिलाधिकारी, धामपुर बिजनौर को उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित की गई। उद्योग के विरूद्ध परगना मजिस्ट्रट धामपुर बिजनौर द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2018 जारी किया गया जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा इकाई को बन्द करा दिया गया। निरीक्षण दिनांक 19.01.2019 के समय इकाई बन्द पायी गई तथा इकाई में ताला लगा पाया गया। इकाई द्वारा उक्त बन्दी आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) जनपद बिजनौर में वाद सं0–471 / 2018 मोहम्मद जफर व अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, नहटौर बिजनौर विचाराधीन है।

यह कि खालों में नमक लगाने के उपरान्त जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को पक्के गढ्ढे में एकत्रित कर नगर पालिका परिषद, नहटौर की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है जो गागन नदी के माध्यम से रामगंगा नदी में निस्तारित होती हैं। इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है । इकाई द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25 / 26 के अन्तर्गत सहमति जल प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है–

1. यह कि उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर द्वारा खालों का भण्डारण एवं विक्रय किया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–7)

प्रतिलिपि : –

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं वितरण खण्ड, नहटौर, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, बिजनौर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–7)

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ.226010
दूरभाष.272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई–मेल. info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H33578 /सी-7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश-वायु/19 दिनांक 12-3-19

पत्रांक 1798
दिनांक 29-3-19
पत्रावली सं0 H-33/

सेवा में,

मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद,
मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल,
करबा-नहटौर, जिला-बिजनौर

यह कि मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, करबा-नहटौर, जिला-बिजनौर द्वारा पशुओं की खाल में नमक व फिटकरी लगा कर लगभग 500 नग खालों का भण्डारण एवं विक्रय किये जाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित स्थल पर वर्ष-2007 से संचालित उद्योग है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2018 को निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित करते हुए उप जिलाधिकारी, धामपुर बिजनौर को उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित की गई। उद्योग के विरूद्ध परगना मजिस्ट्रट धामपुर बिजनौर द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 29.10.2018 जारी किया गया जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा इकाई को बन्द करा दिया गया। निरीक्षण दिनांक 19.01.2019 के समय इकाई बन्द पायी गई तथा इकाई में ताला लगा पाया गया। इकाई द्वारा उक्त बन्दी आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) जनपद बिजनौर में वाद सं0-471/2018 मोहम्मद जफर व अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, नहटौर बिजनौर विचाराधीन है।

यह कि खालों में नमक लगाने के उपरान्त जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु कोई उपाय नहीं किये गये है। इकाई द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत सहमति वायु प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, करबा-नहटौर, जिला-बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है-

1. यह कि उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, करबा-नहटौर, जिला-बिजनौर द्वारा खालों का भण्डारण एवं विक्रय किया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)

प्रतिलिपि : -

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं वितरण खण्ड, नहटौर, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, बिजनौर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)

टी. सी. - 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ.226010
दूरभाष.272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522-2720764 Fax: 0522 - 2720764 ई-मेल. info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

—:कार्यालय—आदेश:—

बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र सं0—एच 33579/सी—7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश—जल/19 दिनांक—12.03.2019 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम—1974 यथासंशोधित की धारा—33(ए) एवं पत्र सं0—एच 33578/सी—7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश—वायु/19 दिनांक—12.03.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम—1981 की धारा—31(ए) के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेशों का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के द्वारा **मैसर्स मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा—नहटौर, जिला—बिजनौर को** बोर्ड मुख्यालय द्वारा बंदी आदेश जारी किये गये हैं।

बन्दी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियो की टीम का गठन किया जाता है।

1. उप जिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
2. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, धामपुर, बिजनौर।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर, बिजनौर।
4. सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उपरोक्तानुसार गठित टीम द्वारा उक्त बन्दी आदेश का स्थल पर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए प्रगति आख्या से अधोहस्ताक्षरी तथा सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए।

SHO ~~Dhampur~~ Nehtaur
for n.a.

जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर

पत्रांक—23/H-33 3/4/19

महावीर सिंह राजावत
क्षेत्राधिकारी धामपुर
बिजनौर

दिनांक— 03-4-2019

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ ।
2. उप जिलाधिकारी, धामपुर, बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।
4. क्षेत्राधिकारी, पुलिस, धामपुर, बिजनौर।
5. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, धामपुर, बिजनौर।
6. सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिला मजिस्ट्रेट
बिजनौर

RO

D.M. Sir file

27-3-19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या– H33579 /सी–7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश–जल/19 दिनांक 27-3-19

सेवा में,

मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद,
मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल,
कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर

पत्रांक 1799
दिनांक 29-3-19
पत्रावली सं0 H-33/ ...

यह कि मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर द्वारा पशुओं की खाल में नमक व फिटकरी लगा कर लगभग 500 नग खालों का भण्डारण एवं विक्रय किये जाने हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–47 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित स्थल पर वर्ष–2007 से संचालित उद्योग है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2018 को निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित करते हुए उप जिलाधिकारी, धामपुर बिजनौर को उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित की गई। उद्योग के विरूद्ध परगना मजिस्ट्रेट धामपुर बिजनौर द्वारा बन्दी आदेश दिंनाक 29.10.2018 जारी किया गया जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा इकाई को बन्द करा दिया गया। निरीक्षण दिनांक 19.01.2019 के समय इकाई बन्द पायी गई तथा इकाई में ताला लगा पाया गया। इकाई द्वारा उक्त बन्दी आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) जनपद बिजनौर में वाद सं0–471/2018 मोहम्मद जफर व अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, नहटौर बिजनौर विचाराधीन है।

यह कि खालों में नमक लगाने के उपरान्त जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को पक्के गढ्ढे में एकत्रित कर नगर पालिका परिषद, नहटौर की ड्रेन में निस्तारित किया जाता है जो गागन नदी के माध्यम से रामगंगा नदी में निस्तारित होती हैं। इकाई में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है । इकाई द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–25/26 के अन्तर्गत सहमति जल प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा–33ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है–

1. यह कि उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला–नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा–नहटौर, जिला–बिजनौर द्वारा खालों का भण्डारण एवं विक्रय किया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–7)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं वितरण खण्ड, नहटौर, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, बिजनौर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–7)

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ.226010
दूरभाष.272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स 0522–2720764 Fax: 0522 – 2720764 ई–मेल. info@uppcb.com
वेबसाइट: www.uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone:2720831,2720828,2720691,2720681
Email: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

3-2019

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H33578 /सी-7/ओ0ए0 804/18/बन्दी आदेश-वायु/19 दिनांक 12-3-19

सेवा में,

मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद,
मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल,
कस्बा-नहटौर, जिला-बिजनौर

पत्रांक 1798
दिनांक 29-3-19
पत्रावली सं0 H-33/

यह कि मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा-नहटौर, जिला-बिजनौर द्वारा पशुओं की खाल में नमक व फिटकरी लगा कर लगभग 500 नग खालों का भण्डारण एवं विक्रय किये जाने हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-40 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित स्थल पर वर्ष-2007 से संचालित उद्योग है।

यह कि उद्योग के विरूद्ध प्रदूषण सम्बन्धी शिकायतों पर क्षेत्रीय कार्यालय, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.09.2018 को निरीक्षण किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 17.09.2018 द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित करते हुए उप जिलाधिकारी, धामपुर बिजनौर को उद्योग के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति क्षेत्रीय अधिकारी, बिजनौर द्वारा प्रेषित की गई। उद्योग के विरूद्ध परगना मजिस्ट्रट धामपुर बिजनौर द्वारा बन्दी आदेश दिनाक 29.10.2018 जारी किया गया जिसके अनुपालन में पुलिस प्रशासन द्वारा इकाई को बन्द करा दिया गया। निरीक्षण दिनांक 19.01.2019 के समय इकाई बन्द पायी गई तथा इकाई में ताला लगा पाया गया। इकाई द्वारा उक्त बन्दी आदेश के विरूद्ध मा0 न्यायालय अपर सिविल जज (सी0डि0) जनपद बिजनौर में वाद सं0-471/2018 मोहम्मद जफर व अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, नहटौर बिजनौर विचाराधीन है।

यह कि खालों में नमक लगाने के उपरान्त जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु कोई उपाय नहीं किये गये है। इकाई द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-21/22 के अन्तर्गत सहमति वायु प्राप्त नहीं की गई है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा-नहटौर, जिला-बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते है-

1. यह कि उद्योग मै0 मौहम्मद जफर अकील. अहमद, मौहल्ला-नौधा, निकट पुराना सरकारी अस्पताल, कस्बा-नहटौर, जिला-बिजनौर द्वारा खालों का भण्डारण एवं विक्रय किया जाना तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उद्योग को मिलने वाली बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएं।

(टी0यू0 खान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)

AEE
कृपया अनुपालन सुनिश्चित करें

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित इकाई को जारी बन्दी आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने अधिनस्थ सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगें।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं वितरण खण्ड, नहटौर, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि बोर्ड द्वारा जारी उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, बिजनौर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-7)